आवश्यक
आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः– एफ13/1/3/आ.प्र./वीएस/डीईएस/2017/ दिनांकः 30/8/17

जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
उप/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
समस्त

विषयः– जन्म–मृत्यु एवं विवाह पंजीयन में भामाशाह संख्या/भामाशाह नामांकन रसीद संख्या प्रस्तुत करने के क्रम में।

प्रसंगः– निदेशालय का समसंख्यक पत्र क्रमांक 72323 दिनांक 03.08.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि आयोजना विभाग के परिपत्र संख्या 22 दिनांक 29.08.2017 के द्वारा भामाशाह योजना प्लेटफार्म व 'पहचान' पोर्टल (जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन) को एकीकृत करने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। परिपत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

विभागीय परिपत्र दिनांक 17.07.2017 द्वारा राजकीय सेवाओं की भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से प्रदायगी के लिए आधार अधिप्रमाणन करवाने अथवा आधार संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। इसी क्रम में आयोजना विभाग के परिपत्र दिनांक 29.08.2017 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार भामाशाह प्लेटफार्म एवं 'पहचान' पोर्टल को एकीकृत किया जा रहा है, जिससे 'पहचान' पोर्टल पर होने वाले जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन की जानकारी भामाशाह प्लेटफार्म से एकीकृत की जाकर परिवार के भामाशाह कार्ड में सूचना को अद्यतन किया जा सकेगा तथा भामाशाह प्लेटफार्म पर उपलब्ध जानकारी को 'पहचान' पोर्टल से साझा किया जा सकेगा।

जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन में परिवार की भामाशाह संख्या/भामाशाह नामांकन रसीद संख्या, यदि उपलब्ध हो, तो आवश्यक रूप से ली जावे, ताकि 'पहचान' पोर्टल पर भामाशाह नामांकन में दर्ज सूचना अनुसार मिलान कर पंजीयन किया जा सके। परिवार की भामाशाह संख्या उपलब्ध नहीं होने पर जन्म, मृत्यु अथवा विवाह पंजीयन नही रोका जावे। **जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन में भामाशाह संख्या केवल राजस्थान के निवासियों से ही ली जावेगी।**

अतः सभी रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार को उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(डॉ.ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ13/1/3/आ.प्र./वीएस/डीईएस/2017/ दिनांकः 30/8/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं जिला कलक्टर, जिला........................
3. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, योजना भवन, जयपुर।
4. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं आयुक्त नगर निगम........................
5. भामाशाह प्रकोष्ठ, मुख्यालय।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव